न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 06/2020/अपील

1. ग्यारसी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि मोहन लाल जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम बिड़ोली तहसील धोद जिला सीकर।
2. बरजी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि डूंगाराम जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम रघुनाथपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. मोहनीदेवी पुत्री नाथूराम पत्नि मानाराम जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– अपीलांट्स

बनाम

1. रामाकिशन पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. राजेन्द्र प्रसार पुत्र स्व0 जगदीश
3. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 जगदीश
4. महेश कुमार पुत्र स्व0 जगदीश
5. रामादेवी पत्नि स्व0 जगदीश
   समस्त जाति जाट निवासीगण चन्देली का बास (धोलासरी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. कंवरी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि नारायण लाल खींचड़ जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम खींचड़ों की ढ़ाणी(खूड़) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7. भींवाराम मुवाल पुत्र जगूराम जाति जाट
8. महेश कुमार पुत्र जगूराम जाति जाट निवासीगण काबरियावास(दांता) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9. ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धोलासरी।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 99 दिनांकित 23.09.1977 द्वारा ग्राम पंचायत धोलासरी पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर।

उपस्थिति–

1. **श्री शिवपाल सिंह वकील अपीलांट्स की ओर से।**
2. **श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील रेस्पोडेन्ट्स 1 की ओर से।**
3. **शेष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।**

निर्णय

दिनांक – 11.09.2023

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 आपस में भाई–बहिन है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के भाई के पुत्रान एवं पत्नि है। तथा अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 स्व0 नाथूराम पुत्र बेगाराम जाति जाट के वंशज है, जिनकी वंशावली इस प्रकार से है:–

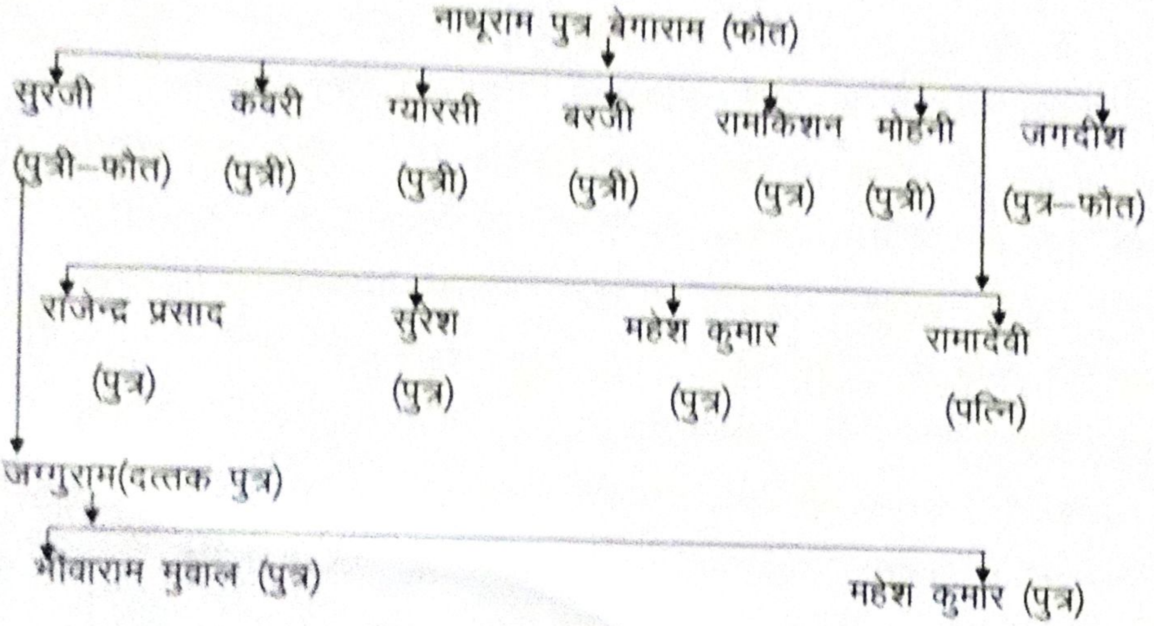

वादग्रस्त भूमियां पुराने ख0न0 132, 133, 134, 135 137, 138, 139 कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों के नये ख0न0 264, 308, 309, 311, 264/704, 265/746, 265/753 गत भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रिकार्ड के कायम किये गये है। उपरोक्त भूमियो की खातेदारी अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज नाथूराम पुत्र बेगाराम के नाम 4 पाई भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। नाथूराम पुत्र बेगाराम फोत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 99 से खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या

2 लगायत 4 के पिता एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 5 के पति के अकेलों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण कायम रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा विधि एवं नियमों की कोई पालना नहीं की गई नामान्तकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कितनी तारीख को तस्दीक किया गया इसका कोई अंकन नही है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण विधि एवं नियम विरूद्ध होने के कारण भी स्थिर रहने योग्य ही नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के कब्जे की कोई जांच नहीं की गई है। इस कारण भी नामान्तकरण निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तकरण में ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा मजमा आम में तस्दीक नहीं किया गया बल्कि बाला–बाला ही तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अविलम्ब ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा अपीलांट को किसी तरह की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण अपीलधीन नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट कानून कायदों से अनभिज्ञ ग्रामीण प्रवृति की अनपढ़ पर्दानशीन महिलायें है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 99 दिनांक 23.09.1977 को तस्दीक किये जाने से पूर्व उन्हे किसी तरह की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया था। जिसके कारण उन्हें पूर्व में अपीलाधनी नामान्तकरण के बारे मे कोई जानकारी नही हुई। दिनांक 80.06.2020 को जब अपीलांट वादग्रस्त भूमियों में से अपने, हक हिस्से की भूमियो की देखभाल करने गई तो रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलांट को यह धमकी दी कि इन जमीनों की खातेदारी में आपका नाम नही अंकित है। आयन्दा वादग्रस्त भूमियों पर आने की चेष्टा मत करना। इस प्रकार अपीलांट द्वारा वकील से सम्पर्क कर जानकारी करके अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त हुई तो अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी से शीघ्रातिशीघ्र अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में अपील दायरी में हुआ विलम्ब माफ किये जाने योग्य है। इस संबंध में अलग से

भी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियिम प्रस्तुत किया जा रहा है। यहा भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तकरण शुन्यता की श्रेणी में आता है ऐसे मामलों में मियाद बिन्दू गौण होता है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के हित एक समान ही है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 से दुरभि संधि कर रखी है। इस कारण वे अपीलांट के साथ अपील दायरी में शामिल नहीं हुई जिसकी वजह से उन्हें प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्टस के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत धोलासरी पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा भरा गया है। इसलिए माननीय न्यायालय को अपील हाजा सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की बहिन सुरजी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि हरदेवाराम के दत्तक पुत्र जगूराम के पुत्रान है। सुरजीदेवी दिनांक 11.03.2020 को फौत हो चुकी है तथा जगूराम दिनांक 19.09.2017 को फौत हो चुके है ये अपील दायरी के समय अपीलांट के साथ नहीं होने से इन्हें रेस्पोडेन्टस फरफोर्मा बनया गया है। अंत में अपील प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 99 दिनांक 23.09.1977 बतस्दीक ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ को निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से वकील श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या हाजिर आयें तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 की ओर से जरिये वकील ने जबाब आवेदन पेश कर कथन किया कि आवेदन की अपीलांट्स को उक्त नामांतरण की शुरू से ही जानकारी थी। उक्त नामांतरण जिस समय भरा गया था उस समय से ही प्रार्थीयागण को जानकारी थी, उक्त नामांतरण भरे जाने के समय अपीलांटस संख्या 1 की उम्र करीब 18 वर्ष थी जो उक्त नामांतरण से भली भांति परिचित थी, प्रार्थीयागण अपने अपने ससुराल में रहती है तथा वादग्रस्त भूमियों पर शुरू से ही जबाबदाता/अनावेदक जबाबदाता ने काफी खर्चा कर

शादियां की थी व शादी के समय जवाबदाता अनावेदक ने ही अपनी कमाई से खर्चा किया था जो शादी के समय जवाबदाता अनावेदक ने ही अपनी कमाई से खर्चा किया था जो शादी के बाद से अपने अपने ससुराल में रह रही है, जिसका उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है अपीलांट्स भू माफिया लोगों के बहकावे में आकर झूठा मुकदमा किया है, तथा अपीलांट्स को उक्त नामांतरण की नामांतरण भरने के समय से पूर्व ही पूर्ण जानकारी थी, जो आवेदिका ने बिना किसी आधार के नामांतरण भरने के 46 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट्स को हैरान व परेशान करने के लिए किया है जो अपीलांट्स द्वारा नामांतरण भरने के 46 वर्ष बाद भरा गया नामातरण कतई चलने योग्य नहीं है। अपील आवेदन पर बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई।

3. अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा नामान्तकरण संख्या 99 दिनांक 23.09.1977 को तस्दीक किया गया। वर्तमान अपील के द्वारा अपीलान्ट्स ने अपने पिता की पैतृक भूमि के संबंध में दर्ज नामांतरण दिनांक 23.09.2023 को खारिज करवाकर भूमि मे हिस्सा चाहा है। परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मे संशोधन, 2005 उपरांत ही पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हक हिस्सा दिया गया था। उक्त संशोधन उपरांत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 मे संशोधन किया गया था। परन्तु धारा 6(1) के परंतुक में यह भी लिखा गया की यह संशोधन उन भूमियों पर प्रमाणित नहीं होगा जिसका विभाजन या वसीयती व्यय 20 दिनांक 2004 से पूर्व किया गया था। वर्तमान अपील में नामान्तकरण संख्या 99 दिनांक 23.09.1977 को हो चुका है। अतः धारा 6(1) के परंतुक से प्रभावित होने से नामांतरण खारिज नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह मीचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़